कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक– (स्कूल शिक्षा)/ जीव विज्ञान(छात्र)/2015–16/285 दिनांकः 28.06.2017 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) – जीव विज्ञान वेतन श्रृंखला पी.बी. 2 (9300–34800) ग्रेड वेतन–4800 के पद पर संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को कार्मिक(क–2)विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(2) कार्मिक/क–2/15 पार्ट दिनांक 22.05.2017 की अनुपालना में सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुक्रम में प्राध्यापक जीव विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में पूर्णतया अस्थाई (temporary) आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) – जीव विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1)एफडी/रूल्स/2014 दिनांक 24.12.14 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिको को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा।

<u>संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगेः–</u>

1. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
3. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट मे कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति मे कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के

   फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. जिन अभ्यर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाती अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।

6. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट **http://shiksha.rajasthan.gov.in/** से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अधिकृत होंगे।

उक्त नियुक्तियां पूर्णतया अस्थाई (temporary) आधार पर रहेंगी तथा नियुक्त अभ्यर्थी संबंधित पद पर स्थाईकरण (confirmation) का अधिकारी नही होगा। उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **12-07-2017** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाएं सही नही पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

संलग्न– 01 आशार्थियों की सूची

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति–जीवविज्ञान/पीएससी–15/2017 दिनांक :02/07/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/ कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

आदेश संख्या–02

शिविरा/माध्य/संस्था/डी–4/शविन्/नियुक्ति–जीवविज्ञान/पीएससी/15/2017 दिनांक 12/07/2017

क्र0 सं0	MERIT_NO	वर्ग	CTG_TYPE	नाम/ पिता का नाम	पता	जन्म तिथि	पद स्थापन स्थान (रा0उ0मा0वि0)	पद स्थापित जिला
1	0	F		SONU GURJAR/SURAJ	तुरजी का कुआ वार्ड नं023 शरदार शहर चुरु	04/01/90	GOVT. GIRLS. SR. SEC. SCH. ALIGARH, UNIYARA	टोंक

(नथमल डिडेल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक– (स्कूल शिक्षा)/ जीव विज्ञान(छात्र)/2015–16/285 दिनांक: 28.06.2017 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) जीव विज्ञान वेतन श्रृंखला पी.बी. 2 (9300–34800) ग्रेड वेतन–4800 के पद पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक जीव विज्ञान (स्कूल शिक्षा) के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) – जीव विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12)डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 14(1)एफडी/रूल्स/2014 दिनांक 24.12.14 के प्रावधानानुसार राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यार्थियों को विद्यमान वेतन एवं नव चयनित कार्मिको को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/03 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

<u>संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओ पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे:–</u>

1. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि 'अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।' यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता–पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नही करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
3. भरतपुर एवं धौलपुर जिले के जाट समुदाय वर्ग को राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल किये जाने सम्बंधी अधिसूचना दिनांक 10.01.2000 को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा रिट पिटीशन संख्या डी.बी. सी. डब्ल्यू. एल. 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 10.08.2015 द्वारा निरस्त किये जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन के कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 17(9)कार्मिक/क–2/2015 के अनुसार उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2015 से भरतपुर एवं धौलपुर के जाट समुदाय को आरक्षण का लाभ देय नही है। अतः ऐसे किसी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करवायें।
4. अभ्यर्थी के शैक्षिक / प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं / प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम–उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे।
5. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख मे सुरक्षित रखेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस–अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यभार ग्रहण नही करवावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा मे सेवारत है, उनके लिये सदाचरण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नही होगा।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–2 /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
8. जिन अभ्यर्थीयों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से शपथ पत्र लेवें कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। दस्तावेज के त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा।
9. **चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in/Secondary एवं http://rajrmsa.nic.in से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताऐं पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।**

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के निर्णय एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 8857/2017 अरविन्दकुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 12.07.2017 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सूचनाए सही नही पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

संलग्न:– 28(छात्र संस्थाएं) आशार्थियो की सूची

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति–जीव वज्ञान/पीएससी–15/2017 दिनांक :–02/07/17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–1/II)
5. कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर आदेश अपलोड करने हेतु
6. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/संबंधित आशार्थी
7. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

आदेश-01

शिविरा/माध्य/संस्था/सी-4/[illegible]/नियुक्ति-[illegible]/[illegible]/16/2017 दिनांक 02/07/2017

क्र0 सं0	MERIT_NO	वर्ग	CTG_T	नाम/ पिता का नाम	पता	जन्म तिथि	पद स्थापन स्थान (राउमावि)	पद स्थापित जिला
1	493	WD	GENF	URMILA/O.P. KHATRI	पुराने रोशनी घर चौराह के पास, गजनेर रोड, बीकानेर	01/03/69	G.G.SR.SEC.SCHOOL, DESHNOKE, BIKANER	बीकानेर
2	504	DV	OBCF	SITA SONI/GOPAL LAL SONI	वाड नं0 7 मालासी के पास, चाउदास- बीदासर, चूरू	11/06/84	GOVT. MAHAVEER SENIOR SECONDARY SCHOOL, KHICHAN, PHALODI	जोधपुर
3	529	WD	GENF	RUCHI MATHURIA/ RUPENDRA SINGH MATHURIA	मकान नं.2/691 एम-12 रामबाग कालोनी, गली0नं. 03 चौधरी जनरल स्टोर	01/05/83	GOVT SR SEC.SCHOOL NEEMLA, JAMWA RAMGARH	जयपुर
4	569	WD	GENF	SEEMA SONI/REVANT RAM	वार्ड नं. 4 सादुलशहर-श्रीगंगानगर	12/02/86	GSSS SONADI, NOHAR	हनुमानगढ
5	263	F	GENM	NATISHA CHANDRAWAT/ MAHAVEER SINGH	गढ के पिछे, मकान नं0 89/10 नला मोहल्ला, झालावाड	29/10/84	GOVT.H.SEC.SCH.GANGDHAR, DAG	झालावाड
6	284	F	GENM	ANJALI SHARMA/ SHANKER LAL SHARMA	बी ब्लॉक, आर.के.कालोनी, भीलवाडा	22/02/89	GOVT. HR.SEC. SCHOOL SWAIPUR, KOTRI	भीलवाडा
7	286	F	GENM	RAKHI ROY/LALIT ROY	उत्तर शिवपुर,गोपाल दास हाट,पश्चिम बंगाल	13/04/90	GOVT. SR. SEC. SCH. ALIGARH, UNIYARA	टोंक
8	386	F	OBCM	PINKEY YADAV/JAGDESH PRASAD YADA	गांव ढाणी खेड़ाणा, पो0पांचरोली,तह0बुहाना-झुंझुनू	17/10/81	GOVT. SER. SEC. SCHOOL CHHAREDA, LAWAN	दौसा
9	390	F	OBCM	POONAM VERMA/GYAN PRAKASH VERMA	सरस्वती स्कूल के पास, गली नं02 रामपुरा लालगढ, बीकानेर	14/12/79	GOVT.SR.SEC.SCH. NEW MANDI GHARSANA, GHARASANA	श्रीगंगानगर
10	392	F	OBCM	DARSHANA SAINI/DILEEP SINGH SAINI	कटकियों का मोहल्ला वार्ड0 12 गौशाला रोड, चिड़ावा, झुंझुनू	30/07/87	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAUJPUR ALWAR), LAKSHMANGARH	अलवर
11	396	F	OBCM	AFSHEEN/ABDUL SALAM	प्लॉट नं0 63 पोल्ट्री स्टेट अकेलगढ इंजी0 कालेज,	23/03/81	GOVT. HY. SEC. SCHOOL DHOWRA, HINDOLI	बुन्दी
12	397	F	OBCM	KANTA RULANIYA/GOVIND RAM RULANIYA	मु0पो0 शेषम बाबा खुड तह0दातारामगढ सीकर	19/07/89	Govt.Sr.Sec.School Padasala, BAPINI	जोधपुर
13	408	F	SCF	SAVITA DHIKWAL/BISHAN DAYAL DHIKWAL	सी.150 कांता खतुरिया कालोनी, बीकानेर	30/09/86	GOVT. AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL, GIRI, RAIPUR	पाली
14	25	M	GENM	DEEPENDRA KUMAR BALIWAL/TARA CHAND	Village Jat KI Dhani, (Ramkumarpura) post kukarana, th.khetri, Jhunjhanu	05/11/88	GOVT.AADARSH SR. SEC.SCH. KURAJ, RAILMAGRA	राजसमंद

15	154	M	GENM	RAJENDRA SINGH/RAT	ग्राम पो. जुमावई,जिला भरतपुर	06/06/83	G.S.SEC.S.SARU, GIRWA	उदयपुर
16	267	M	GENM	SURESH KUMAR SHARMA/HANS RAJ SHARMA	सोमसीसर, तारानगर–चूरू	10/12/84	GOVT. MAHARANA HR.SEC. SCHOOL RAIPUR, RAIPUR	भीलवाड़ा
17	279	M	GENM	PRADEEP KUMAR SHARMA/RADHA MOHAN SHARMA	ग्रा.पो.आभानेरी वाया सिकन्दरा–बसवा, दौसा	01/08/89	G.S.SEC.S.BILAKH, RISHABHDEV	उदयपुर
18	285	M	GENM	VIJAY KUMAR/ SHYAM SUNDER	8 एच 186 कुडी हाउसिंग बोर्ड,जोधपुर	21/12/82	GOVT.SR.SEC.SCHOOL, KALYANPUR, KALYANPUR	बाड़मेर
19	341	M	OBCM	RAVINDER KUMAR/OM PRAKASH	चक 15 एसपीएम,पो.गणेशगढ़ [illegible], श्रीगंगानगर	12/07/90	AADRASH GOVT. SR.SEC. SCHOOL HADETAR, SANCHORE	जालौर
20	388	M	OBCM	MANOHER LAL BISHNOI/RAMSWAROOP BISHNOI	मुरलीधर व्यास कालोनी के पास,उग्मेश्वर नगर घाटी की श्मशान भूमि के पास, बीकानेर	10/08/86	GOVT. SR. SEC.SCH_NARSINGHO KI DHANI, SAM	जैसलमेर
21	389	M	OBCM	SURENDRA VISHNOI/SHRIRAM VISHNOI	गांव राजगुरिया पो0 खेतावेत पुरोहितान, तह0 लूणी– जोधपुर	10/05/87	AADARSH GOVT.SR.SEC.SHOOL, DHORIMANA, DHORIMANA	बाड़मेर
22	393	M	OBCM	SITARAM SAINI/BADRI PRASAD	रामपुरा(खन्डेला), सीकर	05/07/78	GOVT.HR.SEC.SCH. DEVGARH,	प्रतापगढ़
23	394	M	OBCM	ANIL KUMAR/ DANSINGH YADAV	ग्राम पो. प्रतापसिंहपुरा [illegible],अलवर	07/07/85	Govt. Sr. SEC.School, SUVERI, KHERWARA	उदयपुर
24	395	M	OBCM	SHEKHAR CHOUHAN/ VIMAL KUMAR CHOUHAN	साई कोठी स्टेट, गौशाला रोड, वार्ड 18 तह0 भादरा, हनुमानगढ़	08/10/87	G.S.SEC.S.BALUA, SEMARI	उदयपुर
25	480	M	SCM	GANPAT RAM /BHUPA RAM	चक 8 एडी तह.पूगल, बीकानेर	02/05/90	GOVT.SR.SEC.SCHOOL BHUNIYA, DHANAU	बाड़मेर
26	481	M	SCM	KHEMCHAND NAVAL/LAXMAN	ग्रा.पो.मांडी, तह.डेगाना–नागौर	16/08/90	GOVT. SEN. SEC SCHOOL BILODA,	बांसवाड़ा
27	90	M	GENM	SHAILESH SHARMA/SATY DEV THAKUR	शिवाजी पार्क,B–क 346, अलवर	19/06/79	GOVT. SR. SEC.SCHOOL, TANDI NANI, BANSWARA, GANGADTALAI	बांसवाड़ा
28	283	M	GENM	SHIVAJI GUPTA/BABU	एसबीएम पब्लिक स्कूल के सामने, अम्बेडकर नगर, गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर	11/06/83	G.S.SEC SCHOOL KATUMBI, CHOTISARVAN	बांसवाड़ा

(नथमल डिडेल)
[illegible]
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर